न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर०ए०एस०)**

प्रकरण संख्या – 246/2023

अनवान : –

1. हर्ष उम्र 13 साल पुत्र मंगलाराम नाबालिग जरिये संरक्षिका माता कुदरती बली सुमन पत्नी मंगलाराम पत्नी मंगलाराम जाति जाट निवासी नहराना तहसील नोहर।
2. अनुष्का उर्म 13 साल पुत्री मंगलाराम नाबालिग जरिये संरक्षिका माता कुदरती बली सुमन पत्नी मंगलाराम पत्नी मंगलाराम जाति जाट निवासी नहराना तहसील नोहर।

– सायलान

बनाम्

1. मंगलाराम पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी नहराना तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
3. उप पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।
4. चन्द्रकला पत्नी संतलाल जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
5. सरस्वती पत्नी कृष्णलाल जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री चन्द्रशेखर अधिवक्ता अधिवक्ता **प्रार्थीगण**
श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **अप्रार्थी स0 4, 5**

निर्णय दिनांक: 29/12/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा मेघाना तहसील नोहर के खाता संख्या 47/44 की कुल 5.4640 हैक्ट भूमि में से 215/2732 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा मेघाना तहसील नोहर के खाता संख्या 219/221 की कुल 14.1130 हैक्ट भूमि में से 5879/70565 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा मेघाना तहसील नोहर के खाता संख्या 313/12 की कुल 18.4660 हैक्ट भूमि में से 4521/184640 एवं रोही मौजा नहराना तहसील नोहर के खाता संख्या 37/21 की कुल 26.5040 हैक्ट भूमि में से 2831/26504 हिस्सा एवं रोही मौजा नहराना तहसील नोहर के खाता संख्या 30/29 की कुल 5.0580 हैक्ट भूमि में से 1/8 हिस्सा भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि पूर्व में सायलान के दादा के नाम दर्ज थी उनकी फौतदगी के बाद गैरसायल संख्या 1 के नाम दर्ज हुयी। अप्रार्थी संख्या 1 कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण अकेले के नाम दर्ज हो गयी। उक्त वाद भूमि पैतृक होने के कारण प्रार्थीगण का जन्मजात हक हिस्सा है। प्रार्थीगण अपने हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:44:14 IST
Reason: SelfAttested

वादग्रस्त भूमि गैरसायल संख्या 1 ... हिन्दु खानदान दर्ज है। गैरसायल संख्या 1 अति व्यसनी व्यक्ति है तथा ... उक्त वाद भूमि को ... बैय करने पर

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

उतारू है। वादग्रस्त भूमि पैतृक होने के कारण गैरसायलान संख्या 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की वादग्रस्त भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल न करें एवं मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा मेघाना तहसील नोहर के खाता संख्या 47/44 की कुल 5.4640 हैक्ट भूमि, रोही मौजा मेघाना तहसील नोहर के खाता संख्या 219/221 की कुल 14.1130 हैक्ट भूमि, रोही मौजा मेघाना तहसील नोहर के खाता संख्या 313/312 की कुल 18.4660 हैक्ट भूमि, रोही मौजा नहराना तहसील नोहर के खाता संख्या 37/21 की कुल 26.5040 हैक्ट भूमि, रोही मौजा नहराना तहसील नोहर के खाता संख्या 30/29 की कुल 5.0580 हैक्ट भूमि में अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की गई कि अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि में प्रार्थीगण के हक, हिस्सा की भूमि को रहन, बैय, मुन्तकिल न करे।

अप्रार्थीगण को तलब किया गया। प्रार्थीया चन्द्रकला व सरस्वती ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 पेश किया जो की स्वीकार किया गया। संशोधित शिर्षक पेश किया। अप्रार्थी संख्या 1 को सम्यक नोटिस तामिल होने के उपरान्त भी अप्रार्थी संख्या 1 उपस्थित नही अतः अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। अप्रार्थी संख्या 4 व 5 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की रोही मौजा मेघाना तहसील नोहर के खाता संख्या 219/221 की कुल 14.1130 हैक्ट भूमि मे से 5879/70565 हिस्सा यानि 1.1758 हैक्ट भूमि गैरसायल संख्या 1 से जरिये बैयनामा दिनांक 21.09.2023 को उत्तरदाता ने मुताबिक बैयनामा खरीद की है। इसलिए मुताबिक बैयनामा उत्तरदाता रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हो चुके है इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थीगया 212 खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया की वाद भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज है उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध ताफैसला दावा स्थगन आदेश कन्फर्म किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने बहस में निवेदन किया की वाद भूमि अप्रार्थीगण संख्या 4 व 5 ने जरिये बैयनामा समस्त प्रतिफल देकर खरीद की है। अप्रार्थीगण संख्या 4 व 5 उक्त वाद भूमि के रिकार्डेड खातेदार है। रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध स्थगन पारित किया जाना उचित नही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में संलग्न प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का अवलोकन किया। अप्रार्थी संख्या 1 उक्त वाद भूमि का रिकार्डेड खातेदार है। प्रार्थीगण द्वारा रोही मौजा मेघाना तहसील नोहर के खाता संख्या 47/44 की कुल 5.4640 हैक्ट भूमि, रोही मौजा मेघाना तहसील नोहर के खाता संख्या 219/221 की कुल 14.1130 हैक्ट भूमि, रोही मौजा नहराना तहसील नोहर के खाता संख्या 313/312 की कुल 18.4660 हैक्ट भूमि, रोही [illegible] नहराना तहसील नोहर के खाता संख्या 37/21 की कुल 26.5040 हैक्ट भूमि [illegible] प्रार्थना पत्र पेश किया है उक्त वाद भूमि में से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत [illegible] पर केवल रोही मौजा नहराना तहसील

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:44:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

नोहर के खाता संख्या 37/21 की कुल 26.5040 हैक्ट भूमि, रोही मौजा नहराना तहसील नोहर के खाता संख्या 30/29 की कुल 5.0580 हैक्ट भूमि ही पैतृक भूमि होना साबित है। अन्य वाद भूमि के पैतृक होने के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है। अप्रार्थीगण संख्या 4 व 5 द्वारा प्रस्तुत रजिस्टर्ड बैयनामा की चित्रप्रति के अनुसार उक्त वाद भूमि मे से रोही मौजा मेघाना तहसील नोहर के खाता संख्या 219/221 की कुल 14.1130 हैक्ट भूमि में से 5879/70565 हिस्सा यानि 1.1758 हैक्ट भूमि गैरसायलान संख्या 4 व 5 ने अप्रार्थी संख्या 1 मंगलाराम से जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा समस्त प्रतिफल देकर खरीद की है। अतः अप्रार्थीगण संख्या 4 व 5 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायसंगत नही है। प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला आशिक साबित होता है। जब प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में आंशिक साबित है तो सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थीगण के पक्ष में आंशिक साबित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आंशिक स्वीकार किया जाता है कि अप्रार्थीगण रोही मौजा नहराना तहसील नोहर के खाता संख्या 37/21 की कुल 26.5040 हैक्ट भूमि, रोही मौजा नहराना तहसील नोहर के खाता संख्या 30/29 की कुल 5.0580 हैक्ट भूमि में से प्रार्थीगण के हक हिस्सा को अप्रार्थीगण मूल वाद के निस्तारण तक रहन, बैय व मुन्तकिल न करे तथा रोही मौजा मेघाना तहसील नोहर के खाता संख्या 47/44 की कुल 5.4640 हैक्ट भूमि, रोही मौजा मेघाना तहसील नोहर के खाता संख्या 219/221 की कुल 14.1130 हैक्ट भूमि, रोही मौजा मेघाना तहसील नोहर के खाता संख्या 313/312 की कुल 18.4660 हैक्ट भूमि पर न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 04.10.2023 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 29/12/23 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:44:14 IST
Reason: SelfAttested